रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142] नई दिल्ली, बुधवार, मई 9, 1979/वैशाख 19, 1901
No. 142] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 9, 1979/VAISAKHA 19, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 1979

सा. का. नि. 288(अ).—उपखण्ड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे पासपोर्ट अधिनियम 1967 के खण्ड 24, उप-खंड (2) की धारा (ब) (1967 का 15) के साथ पढ़ा जाए, केन्द्र सरकार इसके द्वारा पासपोर्ट नियम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. इन नियमों को पासपोर्ट (छटा संशोधन) नियम 1979 कहा जाएगा।

2. पासपोर्ट नियम 1967 में नियम 7 के स्थान पर उप-नियम (1) लिखा जाएगा और उपनियम (1) के रखे जाने के बाद, उसमें निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, यथा :—

"(2) इस नियम में अथवा अनुसूची 5 में कुछ भी निहित होने के बावजूद किसी भी ऐसे व्यक्ति से भारत-श्रीलंका पासपोर्ट जारी करने के लिए किसी भी

प्रकार के प्रार्थना-पत्र पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जिसे अथवा 1974 में किए गए भारत-श्रीलंका प्रत्यावर्तन करार के अधीन भारतीय नागरिकता प्रदान की गई हो।"

[सं.6/401/20/79]

के. डी. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 1979

G.S.R. 288(E).—In exercise of the powers conferred by section (1), read with clause (f) of sub-section (2), of section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely :—

1. These rules may be called the Passports (Sixth Amendment) Rules, 1979.

2. In the Passport Rules, 1967, rule 7 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof, and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2) Notwithstanding anything contained in this rule or in Schedule V, no fee shall be payable on any application for the issue of India-Sri Lanka Passport to a person who has been granted Indian citizenship under the India-Sri Lanka Repatriation Agreement entered into in 1964 or 1974."

[No. VI/401/20/79]

K. D. SHARMA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979